



बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)
नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित) एवं बिहार विधान मंडल
सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011

का

समेकित संकलन

वर्ष 2015

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

11 अधिसूचना 11

संख्या-सं0का0-1/वि0म0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)06-02/2011(पार्ट)-...../ पटना, दि०.....

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं०-16, 2006) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और आरंभ :- (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 8(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(ग) नियमावली के अधीन जिस यात्रा के लिए यात्रा भत्ता अनुमान्य है और जो रेल या सड़क द्वारा अथवा अंशतः सड़क और अंशतः रेल द्वारा तय की जा सकती हो उसके लिए यात्रा भत्ता निकटतम मार्ग के यात्रा भत्ता तक सीमित रहेगा चाहे वह किसी प्रकार की यात्रा की गई हो।"

3. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 9(1)(ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(ख) विधान मंडल की समिति की बैठक में सम्मिलित होने के प्रयोजनार्थ।

राज्य के भीतर स्थल अध्ययन यात्रा के लिए समिति के सदस्यों को, यथास्थिति, बिहार विधान सभा सचिवालय/बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।"

4. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"10. रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। - प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकतम चार सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेलवे कूपन/प्रतिपूर्ति आधारित रेल यात्रा या विमान यात्रा या दोनों प्रकार की यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में ₹2,00,000/- (दो लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी।"

5. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 16 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"16. उपस्कर की सुविधा। - प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद विधान मंडल के सदस्य को स्थान ग्रहण करने के बाद ₹1,00,000/- (एक लाख) उपस्कर के लिए, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय द्वारा भुगतये होगा। यह सुविधा उन्हें पूरे कार्यकाल में एक बार ही अनुमान्य होगी।"

6. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 17(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"17. पूर्व सदस्यों को पेंशन एवं अन्य सुविधाएँ। -

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो बिहार विधान सभा/विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित/मनोनीत हुआ हो, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित करने या बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाने की तिथि से या उनका कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, ₹25,000/-

(पच्चीस हजार) रूपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन पाने का हकदार होगा और पूरे कार्यकाल के आधार पर ₹2,000/- (दो हजार) रूपये प्रति वर्ष की दर से पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकेगी :
परन्तु, छः माह से अधिक एवं एक वर्ष से कम अवधि की गणना पूरे वर्ष के रूप में की जायेगी :

परन्तु यह भी कि, तेरहवीं बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित करने की तिथि/उक्त विधान सभा का कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व-सदस्यों की भांति पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधाएं अनुमान्य होंगी।

परन्तु और भी कि, बिहार विधान मंडल के वैसे सदस्य, जो दोनों सदनों के सदस्य रह चुकें हों, अंतिम बार जिस सदन के सदस्य रहें हों, वही से उन्हें दोनों सदस्यता अवधि की गणना कर के पेंशन देय होगा।"

7. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 17(4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"(4) -रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। - बिहार विधान मण्डल के पूर्व सदस्य को अधिकतम तीन सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेलवे कूपन/प्रतिपूर्ति आधारित रेल यात्रा या विमान यात्रा या दोनों प्रकार की यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में ₹1,00,000/- (एक लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी :

परन्तु, वैसे पूर्व सदस्य भी, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन वेतन पर नियोजित हैं, रेल/विमान यात्रा के हकदार होंगे :

परन्तु और कि, वे रेल/विमान से की गयी यात्रा के लिए अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज से यात्रा-भत्ता/दैनिक-भत्ता प्राप्त नहीं कर सकें तथा उन्हें इस आशय का शपथ-पत्र, यथास्थिति, सचिव, विधान सभा/सचिव, विधान परिषद को एवं अपने नियोजन के प्राधिकार को देना होगा।"


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(बृज राज राय)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-सं0का0-1/वि0म0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-02/2011(पार्ट)-173/पटना,दि0.06.03.2017
प्रतिलिपि-महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा0 मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मा0 मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/श्री अजय कुमार, प्रभारी आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव। 6-3-17

उप सचिव

27/11/18

W/S (MCA - Ray)

PC

27/11/18

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

।। अधिसूचना ।।

70970 (परसकन)

27/11/18

27/11/18

27/11/18

संख्या-सं0का0-1/वि0म0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-06/2017-..... पटना, दि०.....

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं०-16, 2006) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

5699/6

27/11/18

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018

- संक्षिप्त नाम और आरंभ। - (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।
(2) यह दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "30,000/- (तीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "40,000/- (चालीस हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "45,000/- (पैंतालीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "50,000/- (पचास हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10,00,000/- (दस लाख) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "6,000/- (छः हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10,000/- (दस हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 की चौथी, छठी एवं बारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "20,000/- (बीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "30,000/- (तीस हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2,00,000/- (दो लाख) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3,00,000/- (तीन लाख) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "22,250=00/- (बाईस हजार दो सौ पचास) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "28,000/- (अठ्ठाईस हजार) रुपये" तथा तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "6000=00/- (छः हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "7,000/- (सात हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

9. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक "25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्टक "35,000/- (पैंतीस हजार) रुपये" तथा पाँचवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक "2,000/- (दो हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्टक "3,000/- (तीन हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
10. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक "1,00,000/- (एक लाख) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्टक "1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजेश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-स0का0-11/वि0म0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-06/2017-792/पटना, 26/11/18
 प्रतिलिपि-महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा० मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मा० मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/सुश्री सुजाता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंबाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/11/2018
 विशेष कार्य पदाधिकारी।

बिहार विधान सभा सचिवालय पटना

ज्ञापांक-7ले०-247/2015-7336 / वि०स०, पटना, दिनांक- 05 दिसम्बर, 2018 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण / पूर्व माननीय सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजय कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-7ले०-247/2015-7336 / वि०स०, पटना, दिनांक- 05 दिसम्बर, 2018 ई० ।

प्रति:- सभी उप सचिवगण / अवर सचिवगण / प्रशाखा पदाधिकारीगण / सभी कर्मचारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजय कुमार)


अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रस्तावना

संसदीय कार्य विभाग के नयाचार संबंधी परिपत्रों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित परिपत्रों का संकलन वर्ष 2010 का मैंने अवलोकन किया है। इसमें माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु सभी आवश्यक विषयों को सम्मिलित किया गया है। बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित नियमावली के गठन के बाद 2006 से अब तक कई संशोधन हो चुके हैं। सभी संशोधनों का अलग-अलग अवलोकन करने से महानुभावों को देय सुविधाओं से अवगत होने में कठिनाई हो सकती है। अतः नवगठित षोडश बिहार विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों को समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इन सभी संशोधनों को समेकित रूप से संकलित कर मुद्रित कराने की आवश्यकता महसूस हुई। इस संकलन में मेरे द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011 को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया।

मेरे सुझाव के आलोक में संसदीय कार्य विभाग द्वारा सदस्यों की सुविधाओं से संबंधित अद्यतन संशोधित नियमावलियों का समेकित संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत है। आशा करता हूँ कि इससे सभी संबंधित महानुभावों को समुचित जानकारी उपलब्ध होगी।


(श्रवण कुमार)
मंत्री

संसदीय कार्य विभाग,
बिहार, पटना।


प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 195 में प्रदत्त प्रावधान के तहत बिहार विधान मंडल सदस्यों का (वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 2006 अधिनियमित किया गया (अधिनियम सं०-16, 2006) एवं उक्त अधिनियम की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 गठित की गयी (अधिसूचना सं०-930 दिनांक 23.09.2006)। इसके अतिरिक्त बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011 भी बनायी गयी है (अधिसूचना सं०-1518 दिनांक 13.07.2011)।

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 के गठन के बाद इसमें कई संशोधन किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं—

- I. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2006 (अधिसूचना संख्या-1082, दिनांक 16.11.2006)
- II. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2006 (अधिसूचना संख्या-1375, दिनांक 29.12.2006)
- III. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2008 (अधिसूचना संख्या-738, दिनांक 05.08.2008)
- IV. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2010 (अधिसूचना संख्या-1053, दिनांक 02.06.2010)
- V. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2011 (अधिसूचना संख्या-595, दिनांक 01.04.2011)
- VI. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 (अधिसूचना संख्या-74, दिनांक 16.01.2013)
- VII. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 (अधिसूचना संख्या-431, दिनांक 03.04.2013)
- VIII. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 (अधिसूचना संख्या-1090, दिनांक 21.08.2013)
- IX. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014 (अधिसूचना संख्या-625, दिनांक 11.06.2014)
- X. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014 (अधिसूचना संख्या-808, दिनांक 07.08.2014)

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा बहुमूल्य सुझाव एवं मार्गदर्शन दिया गया कि विधान मंडल सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन से संबंधित नियमावली में कई संशोधन होने से पोंडश बिहार विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को देय सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। तदनुसार उपर्युक्त सभी संशोधनों को समेकित करते हुए प्रस्तुत संकलन तैयार किया गया है।


(अरुण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
संसदीय कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)
नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित)

॥ नियमावली ॥

1. (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।
- (2) यह नियमावली पहली अक्टूबर, 2006 से प्रवृत्त होगी।

2. इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006

(ख) "सदन" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद

(ग) "दिन" से अभिप्रेत है कलेंडर वर्ष का मध्य रात्रि से चौबीस घंटे का दिन;

(घ) "निवास स्थान" से अभिप्रेत है

(i) बिहार विधान मंडल के निर्वाचित सदस्यों के वह स्थान जो उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित स्थायी पता अंकित हो, या

(ii) गृह विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उनका स्थायी निवास स्थान, जिसे सदस्य शपथ ग्रहण के बाद तुरंत सूचित करे;

(iii) बिहार विधान मंडल के मनोनीत सदस्य के लिए वह स्थान जहां मतदाता सूची में उनका नाम हो।

"टिप्पणी :- निवास स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन नियमावली के आरंभ की तिथि से एक माह के भीतर सचिव को सूचित किया जाएगा।

(ड) "सचिव" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद के सचिव तथा इसमें विधान सभा या विधान परिषद के सचिव द्वारा सशक्त किये गये, यथास्थिति, संयुक्त सचिव, उप-सचिव या अवर सचिव सम्मिलित हैं।

(इ) "सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित कार्य" से अभिप्रेत है ऐसा कोई कार्य जो सामान्यतः सदन के कृत्यों से उद्भूत हो और इसमें सदन या इसके पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गठित, मनोनीत या नियुक्त विभिन्न समितियों, आयोगों, बोर्डों या अध्ययन दलों के कार्य अथवा किसी ऐसी समिति या सेमिनार आदि में, सदन के आदेशों और विनियमों द्वारा समिति

के सदस्यों को सौंपे गये अन्य कार्य शामिल हैं, किन्तु इसमें सरकार अथवा स्वाशासी निगमित निकायों द्वारा गठित, निमित्त या नियुक्त समितियों, आयोगों, बोर्डों और अध्ययन दलों में भाग लेना शामिल नहीं है।

- (छ) "माह" से अभिप्रेत है कैलेंडर वर्ष का माह;
- (ज) "प्राधिकृत चिकित्सक" से अभिप्रेत है राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक/विधायक अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन)/ राज्य में स्थित केन्द्रीय, राजकीय अथवा निबंधित चिकित्सा संस्थान/राज्य सम्पोषित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी पदाधिकारी;
- (झ) "सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;
- (ञ) "मरीज" से अभिप्रेत है, सदस्य अथवा उसके परिवार का वह सदस्य जो बीमार हो;
- (ट) "परिवार" से तात्पर्य है, सदस्य की पत्नी/पति आश्रित अवयस्क पुत्र/पुत्री अथवा ऐसे माता/पिता जो पूर्णतः सदस्य पर आश्रित हों;
- (ठ) "उपचार" से अभिप्रेत है, राज्य में स्थित केन्द्रीय/राजकीय/निबंधित अस्पतालों/नर्सिंग होमों में अथवा सरकारी चिकित्सक द्वारा अनुशंसित देश के किसी भी मान्यताप्राप्त अस्पताल/नर्सिंग होम में चिकित्सीय एवं शल्य क्रिया द्वारा उपचार;
- (ड) इस नियमावली में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अभिप्रेत होंगे जो नियमावली में इसके प्रति समनुदेशित किये गये हों।

3.

सदस्यों का वेतन। -

प्रत्येक सदस्य

- (क) भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में विधिवत अधिसूचित किये जाने की तिथि से;
- (ख) राज्यपाल द्वारा जिस जगह के लिए मनोनयन किया जाना है, उस जगह के लिए उनके द्वारा मनोनयन की तिथि से या यदि मनोनयन पदरिक्त होने के पूर्व किया जाता है, तो पद रिक्त के होने की तिथि से;

30000/- (तीस हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन पाने के हकदार होंगे।

परन्तु जहां कोई व्यक्ति, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित या किसी निगम, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार के अधीन या किसी व्यक्ति से अपने वेतन का हकदार हो और उस सरकार, निगम, स्थानीय प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या व्यक्ति से वेतन प्राप्त करता हो और

- (i) यदि वह वेतन की राशि इस नियमावली के अधीन प्राप्त होने वाली वेतन की राशि के समतुल्य या उससे अधिक हो तो वह किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।
- (ii) यदि वह वेतन की राशि इस नियम के अधीन प्राप्त होनेवाली राशि से न्यून हो तो वह इस नियमावली के अधीन उसी राशि का हकदार होगा जो कम हो।
- (ग) उत्तरवर्ती नियमों के उपबंधों के अधीन किसी सदस्य के किसी माह का वेतन उत्तरवर्ती माह के प्रथम दिन को देय होगा:

परन्तु किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने की दशा में, उसका वेतन उसी दिन तक देय होगा जिस दिन वह स्थान रिक्त होता हो तथा वेतन की निकासी उसके पश्चात् किसी भी दिन की जा सकेगी।

- (घ) स्थान रिक्त होने संबंधी सूचना की एक प्रति अंतिम वेतन विपत्र के साथ सलग्न की जायेगी।

टिप्पणी - वेतन, भत्ते इत्यादि की निकासी, भुगतान एवं लेखा संधारण की प्रक्रियायें पूर्ववत् रहेंगी।

4. **क्षेत्रीय भत्ता**। - बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रतिमाह रु० 45000/- (पैंतालीस हजार) रुपये क्षेत्रीय भत्ता पाने का हकदार होगा।
5. **मोटर गाड़ी क्रय हेतु ऋण की सुविधा**। - बिहार विधान मण्डल के किसी सदस्य की मांग पर मोटर गाड़ी क्रय हेतु गाड़ी के मूल्य के समतुल्य राशि या अधिकतम 10,00,000/- (दस लाख) रुपये जो भी कम हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी :-
- (i) अग्रिम स्वीकृत करने हेतु वित्त विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी, मंजूरी पदाधिकारी होंगे। अग्रिम की स्वीकृति के लिए आवश्यक आदेश वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी किये जायेंगे और स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण एवं वसूली, यथास्थिति, विधान सभा/परिषद सचिवालय द्वारा किया जायेगा।
- (ii) मोटर गाड़ी अग्रिम की राशि (चेक/बैंक ड्राफ्ट) गाड़ी की कम्पनी/डीलर को सीधे भुगताय होगी।
- (iii) इस नियमावली के अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसे विधान मण्डल के सदस्य भी मोटर गाड़ी क्रय हेतु पुनः अग्रिम प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो पूर्व में मोटर गाड़ी क्रय हेतु ली गयी अग्रिम की पूर्ण राशि, ब्याज सहित, वापस कर चुके हों, अथवा शेष अग्रिम की राशि सूद सहित यदि एक मुश्त लौटा दें हैं। विधान मण्डल के जैसे सदस्य, जो पुनः अग्रिम की मांग करते हों, उन्हें, यथास्थिति, सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद से प्राप्त इस आशय

का प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा कि पूर्व में ली गयी अग्रिम की राशि सूद सहित वापस कर दी गयी है:

परन्तु सदस्यों को एक कार्यकाल में सिर्फ एक बार कार-अग्रिम दिया जायेगा।

- (iv) यदि मोटरगाड़ी का वास्तविक मूल्य स्वीकृत धनराशि से कम हो तो शेष धनराशि सरकार को तुरत लौटा दी जायेगी।
- (v) स्वीकृत धनराशि के आहरण के पूर्व ही सदस्य को नियमावली के परिशिष्ट (क) में विहित प्रपत्र में एक अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत अग्रिम के आहरण के एक महीने के भीतर संबंधित सदस्य मोटरगाड़ी क्रय करके नियमावली की परिशिष्ट (ख) में विहित प्रपत्र में बंधक-पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त क्रय किये गये वाहन को बिहार राज्यपाल के नाम बंधक रखा जायेगा। अनुबंध-पत्र और बंधक-पत्र सुरक्षा तथा अभिलेख हेतु सरकार को प्रस्तुत किये जायेगे।
- (vi) मोटर गाड़ी अग्रिम पर 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (vii) मोटर गाड़ी अग्रिम की वसूली 60 (साठ) समान मासिक किश्तों में और यदि संबंधित सदस्य की विधान मण्डल की सदस्यता की अवधि 5 वर्षों से कम हो तो ऐसे सदस्य की सदस्यता की आगामी अवधि के भीतर साठ से कम समान मासिक किश्तों में की जा सकेगी।
- (viii) इस नियमावली के अधीन स्वीकृत अग्रिम तथा इस पर देय ब्याज की वसूली सदस्यों से उनके बतौर एवं भत्ता या भत्ता-या किसी अन्य भत्ता या बिल से विधान सभा/विधान परिषद के सचिव द्वारा अपेक्षित धनराशि की कटौती की जायेगी।
- (ix) यदि ऋणी विधान मण्डल का सदस्य बन रहे जाय, तो मोटरगाड़ी अग्रिम की राशि ब्याज सहित उनकी सदस्यता की अवधि की समाप्ति के बाद भी उनको देय पेंशन से वसूली की जायेगी।
- (x) अग्रिम की वसूली मोटरगाड़ी क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के तुरत बाद वाले माह से प्रारम्भ होगी।
- (xi) सदस्य के अग्रिम की ब्याज सहित अवशेष सम्पूर्ण धनराशि नियत अवधि से पहले एकमुश्त जमा करने की छूट होगी।
- (xii) यदि अग्रिम प्राप्त करने वाला सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाय तो भुगतये ब्याज की दर उसकी वसूली हेतु निर्धारित किश्तों की संख्या एवं अन्य शर्तें वही रहेंगी, जो इस नियमावली के अधीन विहित की गयी है।
- (xiii) अग्रिम एवं ब्याज की वसूली का लेखा, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय द्वारा रखा जायेगा। पेंशन से वसूली

की स्थिति में, संबंधित जिले के कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह इस आशय का एक प्रमाण-पत्र, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय को प्रेषित किया जायेगा कि संबंधित व्यक्ति से संबंधित माह में अग्रिम/सूद की किश्त की वसूली कर ली गयी है और सुसंगत प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कर दिया गया है।

(xiv) यदि अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली के पहले ही सदस्य की मृत्यु हो जाये या वह किसी भी कारण से विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय और वह पेंशन का हकदार न हो, या उसे किसी भी कारण से पेंशन नहीं प्राप्त हो या पेंशन बंद हो जाय और किसी अन्य कारण से वह अग्रिम/ब्याज की किश्तों का नियमित भुगतान नहीं कर पाये तो अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की अवशेष धनराशि राज्य सरकार द्वारा वसूलनीय होगी और राज्य सरकार अवशेष राशि को सदस्य या उसके विधिक उत्तराधिकारियों से किसी भी तरह अथवा लोक माग वसूली अधिनियम के अधीन लोक माग वसूली के रूप में वसूली कर सकती है।

(xv) 1- यदि जिस वाहन का क्रय सरकार से प्राप्त अग्रिम की सहायता से किया गया हो परन्तु अग्रिम की राशि अभी वसूलनीय हो, वैसी स्थिति में गाड़ी को उधार लेने वाला सदस्य, राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर बेच सकता है।

2- राज्य सरकार ऐसे दृष्टान्तों में जिसमें अग्रिम की पूर्ण वसूली के पूर्व ही नये वाहन के क्रय हेतु पूर्व में अग्रिम से लिया गया वाहन बचा जाता है, ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन नये वाहन के क्रय हेतु करने की स्वीकृति दे सकते हैं :-

(क) बकाया अग्रिम की राशि क्रय किये जानेवाले वाहन की कीमत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

(ख) बकाया अग्रिम की राशि पूर्व से निर्धारित किश्तों एवं ब्याज की दर पर वसूल की जायेगी।

(ग) नये क्रय किये जानेवाले वाहन को बीमा कराकर राज्यपाल के नाम बंधक रखना होगा।

6. **स्टेशनरी भत्ता।** - बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को भारत चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि से संसदीय कार्यों के सम्पादन के क्रम में पोस्टल, स्टेशनरी और कार्यालय व्यय वहन करने के लिए 6000/- (छः हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से स्टेशनरी भत्ता भुगतये होगा।

7. **निजी सहायक की सुविधा।** - प्रत्येक सदस्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से संसदीय कार्यों में सहायता के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन निजी सहायक/सहायकों को रख सकते हैं, जिसके लिए उन्हें मात्र 20000/- (बीस हजार) रुपये प्रतिमाह देय होगा।

परन्तु यह कि एक से अधिक निजी सहायक रखने पर भी अधिकतम 20000/- (बीस हजार) रुपये प्रतिमाह ही देय होगा और यह राशि सीधे निजी सहायक/सहायको को ही भुगतये होगा।

- (1) निजी सहायक/सहायको को रखने के बाद उन्हें, यथाशीघ्र, इसकी सूचना, यथास्थिति, सचिव, विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय को विहित प्रपत्र में देनी होगी। विहित प्रपत्र बिहार विधान सभा सचिवालय/बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा विहित किया जायेगा।
- (2) निजी सहायक/सहायको को प्रतिमाह रुपये 20000/- (बीस हजार) रुपये की राशि, इसके लिए विपत्र प्रस्तुत करने पर दी जायेगी। यह राशि सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का भाग नहीं होगी।
- (3) सहायक को हटाकर दूसरे व्यक्ति को सहायक रखने का अधिकार सदस्य को होगा एवं उन्हें इसकी जानकारी, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को पुनः विहित प्रपत्र में देनी होगी।
- (4) निजी सहायक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, बिहार सरकार अथवा बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मचारी होने का दावा नहीं करेगा तथा बिहार सरकार अथवा बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् में नियुक्त होने हेतु उसका कोई दावा ग्रहणीय नहीं होगा।

8.

यात्रा भत्ता। -

(क) प्रत्येक सदस्य, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उप चुनाव अथवा मनोनयन की दशा में यथास्थिति विधान मण्डल का संयुक्त अधिवेशन अथवा विधान सभा या विधान परिषद् के अन्य अधिवेशन में पहली बार उपस्थित होने के निमित्त रेल यात्रा की दशा में प्रथम श्रेणी/ए0सी0-टू-टीयर के किराये के इयोंडा भाड़ा तथा निजी कार से यात्रा की दशा में प्रति किलोमीटर 20/- (बीस) रुपये मील भत्ता पाने का हकदार होगा।

(ख) प्रत्येक सदस्य यथास्थिति, विधान मंडल का संयुक्त अधिवेशन या विधान सभा या विधान परिषद् का अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् की समिति के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में भाग लेने के निमित्त अपने निवास स्थान से उस स्थान तक, जहां संयुक्त अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद् का अधिवेशन अथवा विधान सभा या विधान परिषद् की समिति की बैठक या अन्य कार्य किया जानेवाला हो, उनके द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा और ऐसे स्थान से अपने निवास स्थान की वापसी यात्रा के लिए केवल निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा-

- (i) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी/ए0सी0-टू-टीयर के किराये की आधी रकम की दर से आनुषांगिक खर्च;
- (ii) राज्य पथ परिवहन सेवा की बसों द्वारा की गयी हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़ा के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक खर्च;

- (iii) प्राइवेट बस द्वारा की गयी यात्रा के लिए बस भाड़े की दूगुनी राशि का भुगतान।
- (iv) निजी कार से सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए 20/- (बीस) रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मील-भत्ता देय होगा।
- (v) जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए वास्तविक खर्च:

परन्तु जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता है तथा नदी के पार जाना हो तो वह मील-भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल-परिवहन खर्च पा सकेगा।

परन्तु सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए मील भत्ता, प्रत्येक सत्र के आरंभ में सदन की बैठक में भाग लेने के लिए और प्रत्यावसान के बाद अपने निवास स्थान वापसी के लिए, सिर्फ एक बार भुगतये होगा।

परन्तु और कि इस रकम का भुगतान उसी अवस्था में किया जायेगा जब सदस्य के पास निजी मोटर कार हो तथा वे इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उन्होंने वास्तव में उक्त यात्रा अपनी मोटर कार से की है।

परन्तु और भी कि यदि कोई सदस्य विधान सभा/विधान परिषद की समिति की बैठक में भाग लेने के प्रयोजनार्थ निजी कार से यात्रा करे तो वह 20/- (बीस) रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मील-भत्ता पाने का हकदार होगा किन्तु यह समिति की बैठक की समाप्ति के तत्काल बाद की गयी यात्रा अवधि के लिए ही अनुमान्य होगा और एक माह में ऐसी सिर्फ दो यात्राएँ ही अनुमान्य होंगी। मील भत्ता उसी सदस्य को भुगतये होगा जो इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है। ऐसे सदस्य को जिनके पास निजी गाड़ी नहीं है, उन्हें इस प्रयोजनार्थ एक माह में मात्र दो बार रेल की यात्राओं के लिए प्रथम श्रेणी/ए0सी0 टू-टीयर का डयोढ़ा रेल भाड़ा भुगतये होगा।

परन्तु और आगे कि राज्य के बाहर, रेल मार्ग से जुड़े स्थानों से भिन्न किसी अन्य स्थान के लिए की गई यात्रा हेतु प्रति किलोमीटर 20/- (बीस) रुपये की दर से प्रतिदिन अधिकतम 200 किलोमीटर की सीमा तक मील भत्ता भुगतये होगा।

परन्तु यह और आगे भी कि वैसे सदस्य को यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा जो साधारणतः उस स्थान से पांच किलोमीटर के भीतर रहते हैं, जहाँ संयुक्त अधिवेशन अथवा विधान सभा/विधान परिषद का अधिवेशन या विधान सभा/विधान परिषद की समिति की बैठक हुई हो या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य किया गया हो।

(ग) नियमावली के अधीन जिस यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता अनुमान्य है और जो रेल या सड़क द्वारा अथवा अशतः सड़क और अशतः रेल द्वारा तय की जा सकती हो उसके लिए यात्रा-भत्ता (सबसे सस्ते और) निकटतम मार्ग के यात्रा-भत्ता तक सीमित रहेगा चाहे वह किसी प्रकार की यात्रा की गई हो।

(घ) यदि अधिवेशन लगातार अवधि 21 दिनों से अधिक हो, और किसी सदस्य ने 15 दिनों तक अधिवेशन में भाग लिया हो, तो वह सरकारी खर्च पर एक बार घर लौटने के लिए अधिवेशन के स्थान से अपने निवास स्थान पर जाने और अपने निवास स्थान से अधिवेशन के स्थल तक वापस आने के लिए निम्नलिखित दर से यात्रा-भत्ता पाने का हकदार होगा, यशतः कि उक्त यात्राएँ वस्तुतः की गई हों और सदस्य द्वारा उसी अधिवेशन में पुनः भाग लिया गया हो।

(i) रेल द्वारा की गई हरेक यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी/ए0सी0 टू-टीयर के किराये की आधी रकम आनुषांगिक चार्ज;

(ii) राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से की गई हरेक यात्रा के लिए निर्धारित बस भाड़े के समतुल्य अतिरिक्त राशि का आनुषांगिक चार्ज;

(iii) प्राइवेट बस द्वारा की गई यात्रा के लिए बस भाड़े की दुगुनी राशि का भुगतान और

(iv) निजी कार से की गयी यात्रा की दशा में 20/- (बीस) रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ता;

(v) जल मार्ग से की गयी यात्रा की दशा में वास्तविक खर्च;

परन्तु यह भी कि जब सदस्य अपनी गाड़ी से यात्रा करता हो तथा नदी के पास जाना हो, तो वह मील भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल परिवहन खर्च पा सकेगा।

परन्तु सदस्य को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके पास अपनी निजी कार है एवं उसी से उनके द्वारा यात्रा की गई है।

स्पष्टीकरण - "अविच्छिन्न अधिवेशनमाला" वह मानी जायेगी जिसमें किन्हीं दो अधिवेशनों के बीच शनिवार और रविवार सहित नौ या उससे कम दिनों का अन्तराल पड़े जिसमें कोई अधिवेशन न हुआ है।

(ङ) यात्रा-भत्ता, यात्रा पूरी करने के बाद, भुगतय होगा और इसके लिए सदस्य विहित प्रपत्र में दावा करेंगे जो सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सचिव ऐसे विपत्रों पर इस बात का अपना पूरा समाधान कर लेने के बाद प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे कि सदस्य ने रेल या सड़क यात्रा में निकटतम मार्ग से लोक-हित में और सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अधिवेशन में या किसी कार्य में भाग लेने के लिए यात्रा की है। सचिव का

यह दायित्व होगा कि सदस्य द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों के संबंध में अपना समाधान कर ले।

दैनिक भत्ता

- (1) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सदस्य हर निवास दिन या उसके किसी अंश के लिए पटना में प्रतिदिन 2000/- (दो हजार) रुपये की दर से एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य के अन्दर अधिकतम बीस दिनों की यात्रा के लिए प्रतिदिन 2000/- (दो हजार) रुपये तथा राज्य के बाहर अधिकतम 15 दिनों की यात्रा के लिए प्रतिदिन 2500/- (दो हजार पाँच सौ) रुपये दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

परन्तु बैठक में भाग लेने हेतु की गयी यात्रा की अवधि एवं बैठक में भाग लेने के पश्चात् वापस लौटकर आने के लिए की गयी यात्रा की अवधि निवास दिन के रूप में जोड़ी जायेगी।

परन्तु और कि सदस्य को पूरे माह के लिए अनुमान्य दैनिक भत्ता उस अवस्था में भी देय होगा जब सदस्य अनुमान्य हवाई यात्रा/रेल यात्रा/सड़क यात्रा की हो।

(क) विधानसभा/विधान परिषद के अधिवेशन में या संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ।

स्पष्टीकरण - इस निवास दिन में विधान सभा या विधान परिषद का अधिवेशन या संयुक्त अधिवेशन या समितियों की बैठकों के प्रारंभ होने के पूर्व तथा समाप्त होने के बाद का अधिक से अधिक एक दिन के निवास की अवधि भी शामिल है।

परन्तु इसके लिए सदस्यों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन दिनों उस स्थान पर उपस्थित थे जहां ऐसे अधिवेशन हुए हैं।

परन्तु और कि यदि इस नियम के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ एक ही अधिवेशन या समितियों की बैठक में नौ या उससे कम दिन का अन्तराल पड़ जाय जिसके द्वारा कोई अधिवेशन या समितियों की बैठक न हो तो सदस्य ऐसे अधिवेशन या समितियों की बैठक के लिए विहित दर से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होंगे, वशत कि उपरोक्त अन्तराल के पहले के अंतिम दिन तक अधिवेशन या समितियों की बैठक में अथवा बाद वाले अधिवेशन या समितियों की बैठक में भाग लिया हो।

स्पष्टीकरण - (1) किसी तिथि को बैठक की समाप्ति पर समास्थल पर यदि कोई सदस्य आये किन्तु सदन की बैठक में भाग नहीं ले सके तो उसका उस दिन समास्थल पर ठहरना सदन की बैठक में भाग लेने के लिए आवास नहीं माना जाएगा जबतक कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाय।

(ii) अविच्छिन्न अधिवेशनमाला या समितियों की बैठक को अविच्छिन्न श्रृंखला वह मानी जायेगी जिसके किन्हीं दो अधिवेशनों या समितियों की बैठक के बीच शनिवार और रविवार सहित नौ या उससे कम दिनों का अन्तराल पड़े जिसमें कोई अधिवेशन नहीं हुआ हो या कोई बैठक नहीं हुई हो।

(ख) विधान मंडल की समिति की बैठक में सम्मिलित होने के प्रयोजनार्थ।

राज्य के भीतर स्थल अध्ययन यात्रा के लिए समिति के सदस्यों को सरकार के संबंधित विभाग के द्वारा गाड़ी उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्यों में भाग लेने के प्रयोजनार्थ।

(2) यदि कोई सदस्य इस नियम 9 के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अधिवेशन या समितियों की बैठक के स्थान पर बीमार पड़े जाय और अधिवेशन या समितियों की बैठक में भाग लेने में असमर्थ हो जाय तो वह बीमारी की अवधि के लिए जो एक वित्तीय वर्ष में (1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक) 21 दिनों से अधिक न होगी, दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा यथा कि वह, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के पीठासीन पदाधिकारी से उनके समाधान के अनुरूप अपनी बीमारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे।

परन्तु यदि कोई सदस्य इस नियम 9 खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ अस्पताल में अन्तर्वासी रोगी के रूप में पूरी अवधि के लिए, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष संतोषप्रद चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

10. रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। - प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकतम चार सहयात्री के साथ, भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेल/विमान यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में ₹2,00,000/ (दो लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी।

स्पष्टीकरण - वर्ष से अग्रिम है, वित्तीय वर्ष जो 11 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि होगी।

11. सदस्यों को आवास की सुविधा। - (1) प्रत्येक सदस्य को, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से, या उसके कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, पटना में ऐसी रियायती दर एवं अन्य शर्तों के अधीन मकान किराये का भुगतान करने पर, आवास उपलब्ध किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार का भवन निर्माण एवं आवास विभाग, यथास्थिति, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद् के समापति की सहमति से समय-समय पर, यथास्थिति, नियमों द्वारा अवधारित एवं विहित करे।

(2) - बिहार विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को आवास उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में ₹22,250=00/- (बाईस हजार दो सौ पचास रुपये) प्रतिमाह की दर से मकान किराया-भत्ता एवं विद्युत, जल आपूर्ति, सैनेटरी तथा सफाई आदि सुविधाओं के लिए ₹6000=00/- (छ: हजार रुपये) प्रतिमाह अनुमान्य होगा। मकान किराया-भत्ता के अतिरिक्त विद्युत, जल आपूर्ति, सैनेटरी एवं सफाई आदि सुविधाओं के लिए प्रतिमाह भुगतान की दशा में नियम 15 के अधीन विद्युत एवं जल विपन्न भुगतान हेतु कोई राशि देय नहीं होगी।

12. चिकित्सा की सुविधा। -

(1) बिहार विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित किये जाने की तिथि से या उनके कार्यकाल का आरम्भ होने की तिथि से, राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी के समान चिकित्सा सुविधायें अनुमान्य होंगी।

(2) बिहार विधान मण्डल के ऐसे सदस्यों की गंभीर बीमारियों यथा- गुर्दा रोग, हृदय रोग, कैंसर, लकवा, रेटिना डीटेचमेंट, गुर्दा प्रत्यारोपन तथा एड्स या बड़ी दुर्घटना की स्थिति में, चिकित्सा पर होनेवाले व्यय का वहन राज्य सरकार करेगी।

परन्तु, बीमारी की चिकित्सा की अनुशंसा अनिवार्य होगी और सदस्य के अनुरोध पर विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सा पर होनेवाले अनुमानित व्यय का 75 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा अग्रिम के रूप में दी जायेगी, शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान चिकित्सा पर हुये व्यय का व्यय समर्पित करने पर किया जायेगा तथा सदस्य को सिर्फ एक सहयोगी का यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

(3) विधान मण्डल के किसी सदस्य एवं उनके परिवार के किसी सदस्य के वाह्य चिकित्सा (ओपी०डी०) एवं अर्न्तवासी चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवधारित नियमावली की शर्तों के अधीन की जायेगी।

13. विदेश यात्रा की सुविधायें। - सदस्य लोक कार्य से विदेश जाते हैं, तो उन्हें सासद सदस्य के समतुल्य विमान भाड़ा, दैनिक भत्ता आदि की सुविधायें अनुमान्य होंगी।

परन्तु सदस्य राज्य सरकार की अनुमति लेकर ही विदेश यात्रा पर जा सकेंगे।

14. सदस्यों को टेलीफोन की सुविधा। - प्रत्येक सदस्य को, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की तिथि या उनके कार्यकाल की तिथि से, उनके पटना स्थित आवास पर एवं निर्वाचन क्षेत्र या निवास पर एक-एक टेलीफोन की सुविधा अनुमान्य होगी। यह दूरभाष, यथास्थिति, बिहार विधान सभा/विधान परिषद के नाम से लगाया जायेगा तथा इसे पटना स्थित आवास के टेलीफोन के द्वय मासिक विपन्न

एवं सेवा शुल्क का भुगतान, यथास्थिति विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा किया जायेगा।

(क) निर्वाचन क्षेत्र या निवास स्थान पर सदस्य द्वारा स्थापित टेलीफोन के विपत्र का भुगतान सदस्य स्वयं करेंगे। टेलीफोन विपत्र भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा टेलीफोन के स्थानीय कॉल शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति, यथा विहित स्थानीय कॉल सीमा के अधीन रहते हुए, सदस्य को की जायेगी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र/सामान्य निवास स्थान पर अधिष्ठापित टेलीफोन का मासिक/द्वैमासिक रेन्टल राशि की भी प्रतिपूर्ति की जायेगी किन्तु अधिष्ठापन शुल्क एवं सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

(ख)(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक सदस्य को उनके पटना आवास एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र आवास पर अधिष्ठापित दोनों टेलीफोनों को मिलाकर अधिकतम निःशुल्क कॉल की सीमा 1,00,000 (एक लाख) स्थानीय कॉल तक नियत होगी।

परन्तु किसी वित्तीय वर्ष में यदि नियत कॉल सीमा से कम कॉलों का उपभोग किया जाता है तो शेष कॉल अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणीत कर के समायोजित किया जायेगा एवं अगले वित्तीय वर्ष की कॉल सीमा तदनुसार सशोधित हो जायेगी।

परन्तु और कि, सदस्य उसी वित्तीय वर्ष की अनुमान्य स्थानीय कॉल सीमा के मूल्य के अधीन रहते हुए मोबाइल एवं इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ii) किसी वित्तीय वर्ष में सदस्य को पटना आवास एवं उनके निर्वाचन क्षेत्र आवास पर अधिष्ठापित दोनों टेलीफोनों को मिलाकर नियत स्थानीय कॉल सीमा की राशि से अधिक राशि का भुगतान यदि आवश्यक हो, यथास्थिति बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् द्वारा मात्र पटना स्थित आवास पर बिहार विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा स्थापित टेलीफोन के मामले में, की जा सकेगी किन्तु इस राशि की कटौती संबंधित सदस्य के वेतन एवं भत्ते से की जायेगी।

(ग) सदस्यों को अनुमान्य दरमाप की सुविधाएं उनकी सदस्यता समाप्त होने पर स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

15. सदस्यों को विद्युत एवं जल विपत्र के भुगतान की सुविधा। - प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 2000 यूनीट तक के विद्युत विपत्र का भुगतान, यथास्थिति, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् सचिवालय के द्वारा मात्र पटना निवास के लिये किया जायेगा। उक्त सीमा से अधिक विद्युत की खपत होने पर उसका भुगतान सदस्यों को स्वयं करना होगा किन्तु जलापूर्ति के लिए कोई कर उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

16. उपस्कर की सुविधा। - प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद, विधान मंडल के सदस्य को स्थान ग्रहण करने के बाद रू0 50000/- (पचास हजार) उपस्कर के

है लिए यथारिधि विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा भुगतये होगा। यह सुविधा उन्हें पूरे कार्यकाल में एक बार ही अनुमान्य होगी।

17/ पूर्व सदस्यों को पेंशन एवं अन्य सुविधाएं। -

- (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो बिहार विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य निर्वाचित/मनोनीत हुआ हो, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित करने या बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाने की तिथि से या उनका कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन पाने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वर्ष की समाप्ति होने पर 2000/- (दो हजार) रुपये की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा।

परन्तु छह माह से अधिक एवं एक वर्ष से कम अवधि की गणना पूरे वर्ष के रूप में की जायेगी।

परन्तु यह भी कि तेरहवीं बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि/उक्त विधान सभा का कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व सदस्यों की भांति पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि की सुविधाएं अनुमान्य होगी।

परन्तु और भी कि बिहार विधान सभाले के वैसे सदस्य, जो दोनों सदन के सदस्य रहे चुके हों अतिम बात जिस सदन के सदस्य रहें हों, वही से उन्हें दोनों सदन की सदस्यता अवधि की गणना करके पेंशन देय होगा।

(2) प्राहा उप नियम (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति :-

- (i) राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित, या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त हो जाये, या
- (ii) संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् का सदस्य हो जाय; या
- (iii) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी प्राधिकार या किसी व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित हो जाय अथवा ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकार के किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हो जाय।

वहाँ ऐसा व्यक्ति उस अवधि के लिए उप नियम (1) के अधीन किसी पेंशन का हकदार नहीं होगा जिस अवधि के दौरान वह वैसे पद धारण करता रहा हो या वैसे सदस्य के रूप में बना रहा हो या इस प्रकार नियोजित रहा हो या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहा हो।

परन्तु जहाँ ऐसा पद धारण करने या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार नियोजित होने पर ऐसे व्यक्ति को देय वेतन या जहाँ ऐसे व्यक्ति को खण्ड (iii) निर्दिष्ट देय पारिश्रमिक उप नियम (1) के अधीन उसे देय पेंशन से कम हो वहाँ ऐसा व्यक्ति इस नियमावली के अधीन पेंशन के रूप में सिर्फ शेष रकम ही प्राप्त करने का हकदार होगा।

- (iv) सदन के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा गठित किसी निकाय, संस्था या संघ में, यदि राज्य विधान-मण्डल के पूर्व सदस्य पदाधिकारी/सदस्य के रूप में मनोनीत/नियुक्त किए जाएं तो उन्हें पूर्व सदस्य के रूप में देय पेंशन, रेलवे कूपन एवं चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त निकाय, संस्था या संघ के दायित्वों के निर्वहन के लिए उसी दर पर दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएं अनुमान्य होगी जो राज्य विधान-मण्डल के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाएं।

परन्तु वैसे निकाय, संस्था या संघ के कार्यक्रमों पर व्यय होने वाली राशि का उपबंध राज्य विधान-मण्डल की व्यय विवरणी में उसी रूप में सम्मिलित किया जाएगा जिस रूप में राज्य विधान-मण्डल सचिवालय के व्यय का उपबंध से किया जायगा।

- (3) पारिवारिक पेंशन की सुविधा। - ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उप नियम (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी/पति को आजीवन पारिवारिक पेंशन नीचे अंकित दर पर दिया जायेगा।

"पेंशन की राशि का 75 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन भुगतेंय होगा।"

परन्तु उप नियम (1) का उपबंध एवं शर्त मृत व्यक्ति की पत्नी/पति पर भी लागू होगे।

परन्तु और कि यदि पारिवारिक पेंशन पानेवाला व्यक्ति अगर शादी कर ले तो ऐसी दशा में पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकारी नहीं रह जायेगा।

- (4) रेलवे कूपन की सुविधा। - बिहार विधान मण्डल के पूर्व सदस्य को अधिकतम तीन सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेल/विमान यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में ₹1,00,000/- (एक लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी।

परन्तु वैसे पूर्व सदस्य भी जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन वेतन पर नियोजित हैं, रेल/विमान यात्रा के हकदार होंगे :

परन्तु और कि, वे रेल/विमान से की गयी यात्रा के लिए अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज से यात्रा-भत्ता/दैनिक-भत्ता प्राप्त नहीं कर सकेंगे तथा उन्हें इस आशय का शपथ-पत्र, यथास्थिति, सचिव, विधान

सभा/सचिव, विधान परिषद को एवं अपने नियोजन के प्राधिकार को देना होगा।

- (5) चिकित्सा सुविधा। - उप नियम (1) के अधीन पेंशन पानेवाले भूतपूर्व विधायक को आजीवन निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या, दवा की आपूर्ति तथा अस्पताल में भर्ती होने की सुविधायें उस पैमाने एवं शर्त पर प्रदान की जायेगी जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर नियमों द्वारा विहित की जाय।

18. राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करने तथा समय-समय पर उसमें संशोधन का अधिकार होगा।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति। -

- (i) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरस्त समझी जायेगी-

- (1) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों के वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1961.
- (2) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों की दूरभाष सुविधायें) नियमावली, 1976.
- (3) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों के सहयोगी (रेलवे कूपन एवं रोड पास) नियमावली, 1976.
- (4) बिहार संसदीय सचिव (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 1978.
- (5) बिहार संसदीय सचिव (मोटर कार अग्रिम) नियमावली, 1961.
- (6) बिहार विधान मण्डल (सदस्यों को मोटर गाडी हेतु अग्रिम) नियमावली, 1993.

- (ii) ऐसे निरसन होते हुए भी उपर्युक्त उक्त नियम (1) उल्लेखित नियमावलियों के अधीन इस नियमावली के आरम्भ के पूर्व की गई किसी कार्यवाई या किये गये कुछ भी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

**बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा)
नियमावली, 2011**

1. **सक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।**— (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार बिहार विधान मंडल के सदस्यों तक होगा।
(3) यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**— जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में—
(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 2006;
(ख) "समा सचिवालय" से अभिप्रेत है बिहार विधान समा सचिवालय;
(ग) "परिषद सचिवालय" से अभिप्रेत है बिहार विधान परिषद सचिवालय;
(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार विधान मंडल का कोई सदस्य;
(ङ) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इस नियमावली का परिशिष्ट;
(च) "प्राधिकृत व्यवहारी (डीलर) / आपूर्तिकर्ता" से अभिप्रेत है अपने उत्पाद की बिक्री के लिए कम्प्यूटर उपकरण के मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत फर्म;
(छ) "कम्प्यूटर उपकरण" से अभिप्रेत है डेटा के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रोसेसिंग, स्केनिंग, अंतरण और मुद्रण के लिए समर्थ किसी भी नाम से जाने जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजिट और इसमें परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट सभी उपकरण सम्मिलित है;
(ज) "प्रक्रिया" से अभिप्रेत है इस स्कीम के अधीन कम्प्यूटर उपकरणों के उपापन तथा सदस्यों को प्रतिपूर्ति/अग्रिम-भुगतान की प्रक्रिया के अन्तर्गत उपकरणों का भुगतान;
(झ) "स्कीम" से अभिप्रेत है कम्प्यूटर उपकरण क्रय करने हेतु बिहार विधान मंडल के सदस्यों की वित्तीय हकदारी की स्कीम।
(ञ) "साफ्टवेयर" से अभिप्रेत है कम्प्यूटर चलाने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम अथवा प्रोग्रामों का सेट और इसमें सिस्टम साफ्टवेयर भी शामिल है।
(ट) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अभिप्रेत होंगे, जो अधिनियम में उनके प्रति समनुदेशित किये हैं।

3. **कम्प्यूटर उपकरण के लिए सदस्यों की वित्तीय हकदारी की स्कीम एवं प्रक्रिया।**—
(1) वित्तीय हकदारी स्कीम के माध्यम से सदस्यों द्वारा कम्प्यूटर उपकरण प्राप्त किया जाएगा।
(i) बिहार विधान मंडल के सदस्य के रूप अपनी पदावधि के दौरान इस स्कीम के अधीन कम्प्यूटर उपकरण और साँफ्टवेयर के क्रय के लिए सदस्य की वित्तीय हकदारी अधिकतम 1,00,000/— (एक लाख) रुपये तक होगी।
(ii) इस नियमावली के अधीन अन्य शर्तों के होने पर भी विधान मण्डल के वैसे सदस्य, जिन्हें पूर्व में लैपटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जा चुका है, भी नई स्कीम के लिए विकल्प दे सकेंगे।

परन्तु उन्हें लैपटॉप कम्प्यूटर के हासित मूल्य के समतुल्य राशि विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय में जमा करनी होगी अथवा उक्त राशि को नई स्कीम की राशि से कटौती करने के आशय का पत्र विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय को देना होगा। लैपटॉप कम्प्यूटर के हासित मूल्य का निर्धारण बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बलटॉन) द्वारा किया जायेगा।

(2) कोई भी सदस्य इस स्कीम के अधीन परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपकरण के किसी अथवा सभी मर्दों की खरीद करने का हकदार होगा।

(3) कोई भी सदस्य अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर के किसी मॉडल को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा। इस शर्त के अधीन कि प्रतिपूर्ति/भुगतान की कुल रकम इस नियम के उप नियम 1 के खण्ड (i) के अधीन हकदारी से अनधिक हो, परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपकरण की एक से अधिक इकाई की खरीद के लिए भी वह समान रूप से स्वतंत्र होगा।

परन्तु सदस्य द्वारा खरीदे गए उपकरण की लागत, उसकी वित्तीय हकदारी से अधिक होने की दशा में, उसकी अंतर राशि का वहन सदस्य द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(4) सदस्य परिशिष्ट-11 में विनिर्दिष्ट ब्रांडों के कम्प्यूटर प्राधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करेगा।

(5) किसी भी सदस्य को किसी ब्रांड का प्रिंटर, स्कैनर और यू०पी०एस० खरीदने की स्वतंत्रता होगी।

(6) किसी सदस्य की वित्तीय हकदारी कम्प्यूटर उपकरण की खरीद की तारीख को नियत राशि होगी। जहाँ कोई सदस्य उपकरण का क्रय अंशतः करता हो, वहाँ वह पहली बार कम्प्यूटर उपकरण के उपापन के समय नियत राशि की हद तक प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। उसकी हकदारी उसके प्रथम उपापन के पश्चात् राशि में वृद्धि/हास से प्रभावित नहीं होगी।

(7) इस स्कीम के अधीन सदस्य द्वारा खरीदा गया कम्प्यूटर उपकरण उसके पास ही रहेगा। किन्तु यदि वह सदस्य न रह जाता है तो विद्यमान आयकर नियमावली के अनुसार उसे कम्प्यूटर उपकरण का हासित मूल्य जमा करना होगा।

4. अग्रिम भुगतान। - कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु अग्रिम का भुगतान विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय द्वारा प्राधिकृत व्यवसायियों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्गत कच्चा बीजक (प्रोफार्मा इन्वायस) के विरुद्ध किया जायेगा।

5. लेखा संधारण एवं अंकेक्षण। - लेखा संधारण एवं अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय द्वारा कच्चा बीजक पर भुगतान किये जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित खरीद का मूल प्रमाण उपलब्ध करायेगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्गत बिल (विपत्र)/कैश मेमो खरीद का स्वीकार्य सबूत होगा, बशर्तें उसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट हो/दर्शाया गया हो:-

- (i) बेचे गए हरेक उपकरण की क्रम संख्या;
- (ii) यह तथ्य कि माल दे दिया गया है;
- (iii) यह तथ्य कि पूरा भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

6. कम्प्यूटर उपकरण का रख-रखाव और बीमा। - यह निर्णय सदस्य को ही करना होगा कि वह स्कीम के अधीन खरीदे गए कम्प्यूटर उपकरण का बीमा कराना चाहते हैं या नहीं। कम्प्यूटर उपकरण का रख-रखाव एवं बीमा की व्यवस्था सदस्य द्वारा स्वयं किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

परिशिष्ट-I.

कम्प्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर के मद

1. डेस्क टॉप कम्प्यूटर
2. लैप टॉप कम्प्यूटर/नेट बुक कम्प्यूटर/टैबलेट इत्यादि
3. पेन ड्राइव
4. सी०डी०/डी०वी०डी०
5. प्रिन्टर (डेस्क जेट/लेजर जेट/बहु कार्यात्मक/पोर्टेबल)
6. स्कैनर
7. यू०पी०एस० (मात्र डेस्कटॉप के साथ)
8. हाथ से पकड़ा जानेवाला (हैंडहेल्ड) कम्यूनिकटर/पॉपटॉप कम्प्यूटर
9. डेटा इंटरनेट कार्ड
10. एम०एस० ऑफिस सूइट
11. वाइरस रोधी सॉफ्टवेयर
12. भाषा सॉफ्टवेयर और आवाज की पहचान करनेवाला सॉफ्टवेयर
13. अन्य कम्प्यूटर सहायक उपकरण।

परिशिष्ट-II.

डेस्क टॉप/लैप टॉप कम्प्यूटर उपकरण के ब्रांडों की सूची

- | | |
|-------------|---------|
| 1. एसर | Acer |
| 2. डेल | Dell |
| 3. एच०सी०एल | HCL |
| 4. एच०पी० | HP |
| 5. लेनेवो | Lenovo |
| 6. पी सी एस | PCS |
| 7. विप्रो | Wipro |
| 8. एप्पल | Apple |
| 9. सोनी | Sony |
| 10. सैमसंग | Samsung |

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2015